

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,

जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 38 / 2004

संस्थित दिनांक -07 / 01 / 04

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर

जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

01. रमेश महार पिता मोहनलाल—  
उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम पौण्डी  
थाना रूपझर जिला बालाघाट म.प्र.

..... आरोपी

02. रामू पिता दुरगसिंह उम्र 48 वर्ष  
निवासी ग्राम भरी पुलिस चौकी बिठली  
थाना रूपझर जिला बालाघाट म.प्र.

..... (मृत)

::निर्णय::

{ दिनांक 06 / 02 / 2017 को घोषित }

1. अभियुक्त रमेश पर भा.द.वि. की धारा-177 के अंतर्गत यह दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 13 / 03 / 1998 को ग्राम भरी के कोटवार होते हुए एक लिखित आवेदन पत्र श्यामलाल आत्मज दशरू के विरुद्ध थाना रूपझर में सत्य इत्तिला के रूप में "श्यामलाल उसकी पत्नी सोमबती ने आपस में झगड़ा फसाद होने पर बच्ची को मार डाला" की सूचना दी जो जांच उपरांत मिथ्या पायी गयी, जिसके मिथ्या होने के संदर्भ में वह ज्ञान एवं विश्वास का युक्तियुक्त कारण रखता था।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आरोपी रामू की मृत्यु हो चुकी है।

3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भरी के कोटवार अभियुक्त रमेश नंदा द्वारा दिनांक 16.03.1998 को चौकी बिठली थाना रूपझर में लिखित आवेदन दिया कि श्यामलाल एवं उसकी पत्नी सोमबती ने आपस में झगड़ा कर तीन माह की बच्ची को मार डाला। रिपोर्ट पर गुम इंसान 7 / 98 कायम कर जांच के दौरान पाया गया कि श्यामलाल की तीन माह की बालिका की मृत्यु तबियत खराब एवं उल्टी दस्त होने पर ईलाज कराने ग्राम पौण्डी ले जाने के दौरान रास्ते में हुई जिसके बाद वापस घर आकर पिता तथा गांव

वालों को सूचित कर कफन-दफन कर दिया गया। कोटवार रमेश महार एवं गांव के मुकद्दम रामू द्वारा घटना को जानने के पश्चात झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसके पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाये जाने से इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

5. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 13/03/1998 को ग्राम भर्ही के कोटवार होते हुए एक लिखित आवेदन पत्र श्यामलाल आत्मज दशरू के विरुद्ध चौकी बिठली थाना रूपझर में सत्य इत्तिला के रूप में "श्यामलाल एवं उसकी पत्नी सोमबती ने आपस में झगड़ा फसाद होने पर बच्ची को मार डाला" की सूचना दी जो जांच उपरांत मिथ्या पायी गयी, जिसके मिथ्या होने के संदर्भ में वह ज्ञान एवं विश्वास का युक्तियुक्त कारण रखता था ?

### ::सकारण निष्कर्ष::

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

6. उमेश तिवारी (अ.सा.3) का कथन है कि दिनांक 15.04.03 को थाना रूपझर में पदस्थापना के दौरान उसके द्वारा पुलिस चौकी बिठली में आरोपी रमेश तथा रामू के द्वारा पेश आवेदन की जांच की गयी। जांच के दौरान साक्षी श्यामलाल, सोमबती, दशरू, गंगाबाई, रामू, सूबेलाल, चरणसिंह, चैनसिंह, प्रीतमसिंह, पतिराम तथा आरोपीगण रमेश एवं रामू के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे। जांच में पाया गया कि आरोपीगण के द्वारा उक्त सूचना झूठी दी गयी थी। जिसका खुलासा रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1016 दिनांक 31/12/03 इस्तगासा क्रमांक 1/2004 प्र.पी.01 में किया गया है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण के द्वारा बिठली चौकी में दिये गये आवेदन पत्र की सूचना रोजनामचा सान्हा क्रमांक 345 दिनांक 16.03.1998 में पुलिस चौकी बिठली में लेख की गयी थी, जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न हैं। आरोपीगण के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारी एवं न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर धारा 177 भा.दं0सं0 के तहत इस्तगासा पेश किया गया है। आरोपीगण द्वारा बीमारी से बच्ची की मृत्यु को जानबूझकर यह झूठा बताया गया कि बच्ची को उसके माता-पिता द्वारा मार डाला गया।

7. श्यामलाल (अ.सा.4) का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है तथा घटना लगभग 12-13 साल पुरानी ग्राम भर्री में उसके घर की है। अनीता उसकी लड़की थी। जो फौत हो गयी है। वह अपने गांव में ही परिवार सहित झोपड़ी बनाकर रहता था। उसकी लड़की एक वर्ष की थी जो बीमार रहती थी। बीमारी पर ईलाज के लिए उकवा ले जाने के दौरान उसकी लड़की रास्ते में खत्म हो गयी थी तो उसने अपनी लड़की के मरने की खबर गांववालों को तथा अपने परिवार को दी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी रमेश ने कोटवार होते हुए उसके द्वारा बच्ची को मार डालने की झूठी सूचना रुपझर थाने में दी थी जो गलत पायी गयी और साक्षी के विरुद्ध मामला नहीं बना था।

8 घटना के अन्य सभी साक्षी चैनसिंह अ.सा.01, सुबेलाल अ.सा.02, सोमबती अ.सा.05, चरणसिंह अ.सा.06 पूर्णतः पक्षद्रोही रहे हैं। जिन्होंने घटना की किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इंकार कर अपने पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी.01, 02, 03 एवं 04 से स्पष्ट इंकार किया है।

9. प्रथमतः प्रकरण में प्रश्न यह उठता है कि अभियुक्त इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध था अथवा नहीं। उक्त संबंध में द्र.प्र.सं. 1973 की धारा 39,40 अवलोकनीय है। जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त मृत्यु के संबंध में इत्तिला देने हेतु आबद्ध था। तत्पश्चात प्रश्न यह उठता है कि क्या अभियुक्त द्वारा सच्ची इत्तिला के रूप में ऐसी इत्तिला दी जिसका मिथ्या होना वह जानता था या उसके पास मित्या होने के विश्वास का कारण था। उक्त प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्तगण कोटवार रमेश तथा मुकद्दम रामू द्वारा पुलिस चौकी बिठली में श्यामलाल की बालिका की हत्या के संबंध में मिथ्या आवेदन दिया है। अभियोजन द्वारा कथित लिखित आवेदन को प्रकरण में प्रदर्शित तथा प्रमाणित ही नहीं कराया गया है। जिससे अभियुक्त द्वारा इत्तिला देना ही प्रमाणित नहीं है। अब यदि यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्त द्वारा इत्तिला दी गयी थी तब इत्तिला के मिथ्या होने का प्रश्न है जिसके संबंध में भी अभियोजन साक्षियों द्वारा स्पष्ट इंकार कर पक्षद्रोही कथन किये गये हैं।

10. मृत बालिका अनीता के पिता श्यामलाल अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके पिता दशरू द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर कोटवार रमेश व मुकद्दम दशरू पुलिस थाना रुपझर रिपोर्ट करने गये थे। जिसमें आरोपीगण की कोई गलती नहीं थी तथा दशरू के

कहने पर रमेश ने लिखित रिपोर्ट की थी। स्वयं अनीता की मां सोमबती अ.सा. 05 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि उसके और पति के झगड़े के दौरान पति द्वारा लाठी से वार करने पर बच्ची की गिरकर मृत्यु हो गयी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अनीता की मृत्यु के संबंध में उसे पति श्यामलाल ने झूठे बयान देने के लिए कहा था तथा कोटवार एवं मुकद्दम द्वारा सही लिखित रिपोर्ट की गयी थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त कोटवार द्वारा सत्य जानकारी के आधार पर सूचना दी गयी थी, जिसके मिथ्या होने के विश्वास का उसके पास कोई कारण नहीं था।

11. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.03.1998 को सूचना दी गयी जिसके करीब पांच वर्ष की जांच के उपरान्त दिनांक 31.12.03 को वर्तमान प्रकरण पेश किया गया तथा साक्षियों की लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रकरण के निर्णय में अत्यधिक विलंब कारित हुआ और अंततः जो आधारहीन साबित हुआ। इतने वर्षों के विचारण के दौरान एक अभियुक्त की मृत्यु हो गयी तथा अन्य को कारित मानसिक प्रताड़ना का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अभियोजन का उक्त कृत्य अत्यंत निंदनीय हैं तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जांच में अधिक सतर्कता बरती जावे।

12. अतः अभियुक्त रमेश पिता मोहनलाल को भा.दं0सं0 की धारा-177 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

15. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)